शोधन अक्षमता प्रक्रिया में श्री अनिल कुमार बनबाह (पीएएन : ACIPB5389D) की आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना

शोधन अक्षम की आस्तियां "जैसी है जहां है, जैसी है जो है, जो भी है वहां है और कोई उपाय नहीं आधार" पर बेची जा रही हैं

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना शोधन अक्षमता प्रक्रिया में श्री अनिल कुमार बनबाह (शोधन अक्षम) की आस्तियों की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत बिक्री के लिए दी जा रही है, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

लॉट नं.	शोधन अक्षम की आस्तियों का विवरण	जगह	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बयाना राशि जमा (रु. में)
1.	प्लॉट संख्या 47, नॉर्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग पश्चिम, नई दिल्ली–110026 में तीसरी मंजिल पर आवासीय अपार्टमेंट / भाग (तीसरी मंजिल का आधा हिस्सा) ऊपर छत के साथ	47, तृतीय तल, नॉर्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग पश्चिम, नई दिल्ली	Rs.4,09,95,072/-	Rs.41,00,000/-

इच्छुक पार्टियां प्रक्रिया सूचना दस्तावेज ("पीआईडी") के अनुसार, ईएमडी जमा के प्रमाण और ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दस्तावेजों के साथ अपनी ईओआई 5 दिसंबर 2025 तक अधोहस्ताक्षरी को जमा कर सकती हैं। ई–नीलामी की तिथि और समय: **09.12.2025 दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक**

ऋणशोधनाक्षम / व्यक्तिगत गारंटर की परिसंपत्तियों पर विस्तृत प्रक्रिया / सूचना प्रक्रिया सूचना दस्तावेज (पीआईडी) में उल्लिखित है।

नोटः बिक्री IBC 2016 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों और PID में उल्लिखित नियमों व शर्तों के अधीन होगी, जो वेबसाइट "www.arck.in" पर उपलब्ध है या ईमेल द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। कृपया विवरण के लिए PID देखें। किसी भी अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर, कृपया motherspride.bt@outlook.com या saurabh445@gmail.com पर ईमेल करें या 011–40078344 / 011–45101111 पर कॉल करें।

हस्ता/–
सौरभ चावला
श्री अनिल कुमार बनबाह (ऋणशोधनाक्षम / व्यक्तिगत गारंटर) के दिवाला शोधन क्षमता न्यासी
आर्क रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी,
409, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग (कॉनॉट प्लेस), नई दिल्ली–110001
पंजीकृत संख्याः IBBI/IPA-003/ICAI-N-00368/ 2021-2022/13834
वार्षिक स्वीकृति (AFA) मान्यः 31.12.2025 तक
ईमेलः motherspride.bt@outlook.com एवं saurabh445@gmail.com
फोनः 011–40078344 / 45101111

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.11.2025

वसूली अधिकारी कार्यालय – I/II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के तहत बिक्री घोषणा के निपटान के लिए नोटिस

टीआरसी 1232 / 2022 **19-09-2025**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रवीण एवं अन्य

सेवा में,

(सीडी1) प्रवीण पुत्र ब्रिज मोहन,

(सीडी2) रीना पत्नी प्रवीण (सह–आवेदक)

दोनों (सीडी1) और (सीडी2): निवासी तीसरी मंजिल, प्रोप. सं. 1 / 7509, खसरा नं. 226, गली नं. 12ए, ईस्ट गोरख पार्क, गाँव बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली –110032 और: के–5, ब्लॉक–के, बुद्ध विहार, फेज–1, रोहिणी, दिल्ली–110084

(सीडी3) विपिन कुमार पुत्र ब्रिज मोहन (गारंटर), निवासी मकान नं. 650, डीडीए जनता फ्लैट्स, बदरपुर, दक्षिणी दिल्ली–110044

जबकि आपको, प्रवीण और अन्य को, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी, जिन्होंने दिनांक 09.11.2022 को वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था, के द्वारा आवेदक बैंक / वित्तीय संस्थान (आवेदक के नाम) को रु. 26,46,756.80 (रुपये छब्बीस लाख छियालीस हजार सात सौ छप्पन और पैसे अस्सी मात्र) की राशि दिनांक 01.01.2016 से वसूली तक **@10.25%** की दर से ऋण और भविष्य के ब्याज सहित तथा रु. 29,000.00 की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। और चूँकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित अचलध्अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री की घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तों को तय करने के लिए 08.12.2025, प्रातः 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों या उसके किसी भाग से जुड़े किसी भी भार, शुल्क, दावे या

संबंध में कोई दावा है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बिरलाग्राम, नागदा, मध्य प्रदेश, 456331 पर अपना दावा दर्ज कराए, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता
सोनल जैन
बी 604 स्टेलर किंग्स कोर्ट, सेक्टर 50, नोएडा 201301
स्थानः उत्तर प्रदेश **दिनांकः 22/10/2025**

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of SRF Limited, Regd. Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Vihar Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi – 110091, Corporate Office: Block-C, Sector 45, Gurugram, Haryana- 122003, have been lost /misplaced and the holder(s) / purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Corporate Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate (s)/Letter of Confirmation to the applicant holder without any further intimation.

Folio No	Name of Shareholder	No of Shares	Distinctive Nos.		Certificate Noss	
			From	To	From	To
SRF0042729	PANKAJ MITAL	400	296299794	296300193	1137332	1137332
		40	9642426	9642465	90089380	90089380
		40	9642466	9642505	90089381	90089381
		20	9642506	9642525	90089382	90089382
Total		500				

Dated: 20-11-2025

Name of Company: SRF Limited,
Shareholder Name : Pankaj Mital

फॉर्म संख्या आईएनसी–26

सार्वजनिक सूचना

[कंपनियों (पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति

केंद्रीय सरकार, उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनियों (पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 30 की उपधारा (5) के खंड (क) के संदर्भ में

तथा

एएमएस मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में सीआईएनः U18129DL2018PTC333732 जिसका पंजीकृत कार्यालयः 721, भूतल, पॉकेट–3, सेक्टर–14, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, भारत, शहरः नई दिल्ली–110078 में स्थित है

–आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार से अपने एसोसिएट्स के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है। यह परिवर्तन कंपनी द्वारा दिनांक मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को आयोजन वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार किया जा रहा है, ताकि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली"** से बदलकर **"हरियाणा राज्य"** किया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह **MCA-21** पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर या पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्ति, एक हलफनामे के साथ जिसमें उसकी रुचि की प्रकृति और आपत्ति के आधार का उल्लेख हो, निम्नलिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज सकता हैः **बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** आपत्ति की प्रति

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

प्रपत्र सं. 3 [विनियम–13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17ए, चण्डीगढ़
(3सरे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नं. ओए/404/2025

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन

ईएक्सएच. नं. : 27993

इंडियन ओवरसीज बैंक
बनाम
जितेन्दर मलिक

सेवा में,

1. श्रीमती नीतिका सिंह त्यागी, पत्नी श्री जितेंद्र मलिक
निवासी मकान संख्या 292, प्रथम तल, ब्लॉक–ई, पॉकेट 3, पैराडाइज
अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 18, नई दिल्ली–110089.

साथ ही :

श्रीमती नीतिका सिंह त्यागी, पत्नी श्री जितेंद्र मलिक, निवासी
फ्लैट संख्या 105, प्रथम तल, टावर ए–7, एवलॉन रंगोलीवाल
बाईपास रोड, भिवानी, राजस्थान – 301019।

साथ ही :

मैसर्स एड्रियाना पपेली केडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निवासी बी–299,
ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020.

समन

जैसा कि ओए/404/2025 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 07.10.2025 को सूचीबद्ध किया गया था।

जैसा कि यह माननीय अधिकरण रु. 34,37,614.40/– के ऋण (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है) की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा 19(4) (ओए) के तहत कथित आवेदन पर समन/सूचना सहर्ष जारी करते हैं।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश दिया जाता है :

(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये।

(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना;

(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है;

(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे;

(v) आप प्रतिभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वसूलीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 02.12.2025 को 10.30 बजे प्रातः रजिस्ट्रार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा।

08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुहर सहित

समन जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर